

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/लेखा/डी-2/28001/2021-22

दिनांक: 09.03.2022

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक

विषय:- बेशी/अप्रचलित/अनुपयोगी सामान निस्तारण अभियान के सम्बन्ध में ।
प्रसंग:- इस कार्यालय का समसंख्यक आदेश दिनांक 02.07.21, 29.07.21, 25.08.21,
23.11.2021

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक आदेश/पत्रांक द्वारा बेशी/अप्रचलित/अनुपयोगी सामान निस्तारण का समयबद्ध अभियान चलाने के निर्देश दिये गये थे । वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 17.09.2021 द्वारा उक्त अभियान 31.03.2022 तक बढ़ा दिया गया है ।

इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक : प.6 (1) वित्त/साविलेनी/2005 पार्ट-1 जयपुर दिनांक : 02.03.2022 की प्रति पत्र के संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि इसकी शत प्रतिशत पालना सुनिश्चित करावें ।

दिनांक 31.03.2022 तक की बेशी/अप्रचलित/अनुपयोगी सामान निस्तारण की जिले की समेकित सूचना दिनांक : 10.04.2022 तक ई-मेल school03power@gmail.com पर निम्नांकित प्रारूप में भिजवाएं:-

दिनांक 01.04.2021 को नकारा समान से सम्बद्ध सूचना		दिनांक 31.03.2022 तक जी.एस.टी. राशि		दिनांक 31.03.2022 को नकारा समान से सम्बद्ध सूचना	
स्कूलों की संख्या	नकारा सामग्री से भरे हुए कमरों की संख्या	चीलामी से प्राप्त कुल आय		स्कूलों की संख्या	नकारा सामग्री से भरे हुए कमरों की संख्या
1	2	3	4	5	6

संलग्न : उपर्युक्तानुसार

सत्यमेव जयते

वित्तीय सहायकार,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

दिनांक: 09.03.2022

क्रमांक : शिविरा/माध्य/लेखा/डी-2/28001/21-22

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग, जयपुर ।
2. वरिष्ठ शासन उप सचिव, स्कूल शिक्षा (गुप-5) विभाग, जयपुर ।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, मण्डल कार्यालय ।
4. सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

लेखाधिकारी,

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

पं. 6(1)वित्त/साविलेनि/2005 पार्ट-1

जयपुर दिनांक 21.02.2022

परिपत्र

विषय :- अनुपयोगी/नकारा स्टोर्स निस्तारण अभियान की शत प्रतिशत पालना सुनिश्चित करवाने बाबत।

राजकीय विभागों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/कम्पनियों/बोर्ड्स आदि में उपलब्ध बेशी/अनुपयोगी/अप्रचलित भंडार सामग्री/वाहन आदि के निस्तारण हेतु अभियान चलाया जाकर कार्यवाही करने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश परिपत्र संख्या- 10/2021 दिनांक 17.09.2021 जारी किए गए थे। इस अभियान की अवधि भी 31 मार्च, 2022 तक निर्धारित की गई है।

अतः सभी प्रशासनिक सचिवगण/विभागाध्यक्ष से पुनः अनुरोध है कि अभियान की सफलता हेतु अपने अधीनस्थ को समुचित निर्देश प्रदान करवाकर अभियान को सफल बनाने का श्रम करावें।

(सुधीर कुमार शर्मा)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण।
4. दृष्टि उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. निजी सचिव, समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
6. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलेक्टर/संभागीय आयुक्त।
8. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. कोषाधिकारी समस्त।
10. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग(कोडीफिकेशन) अतिरिक्त प्रति सहित।
11. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग को वित्त विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु।

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ:

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर।
2. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, लोकयुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण।

(विक्रम कुमार गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

(GFB:AR - 05/2022)